28

नगर पालिक निगम जबलपुर

निविदा नियमावली व शर्ते

1. निविदा आमंत्रण दो लिफाफा पद्धति से होगा । जिसका विवरण निम्नानुसार है -
   (अ) प्रथम लिफाफा अमानत राशि का होगा । जिसके ऊपर "EMD" उल्लेखित होना चाहिए ।
   (ब) द्वितीय लिफाफे में " आवश्यक प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख " लिखकर उसके अन्दर निम्नानुसार प्रमाण पत्र, अभिलेख एवं नीचे की कण्डिकाओं में उल्लेखित शर्तों अनुसार प्रपत्र/दस्तावेज रखा जाना अनिवार्य होगा :-
   - निविदाकार का स्थापना पंजीयन की वैध प्रति ।
   - श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा जारी लेबर लायसेंस की वैध प्रति ।
   - सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की वैध प्रति ।
   - E.P.F. एवं ESIC कार्यालय का रजिस्ट्रेशन ।

   (स) निविदा दरें ऑनलाईन ही मान्य होगी ।
2. निविदाकार को श्रमिक उपलब्ध कराए जाने से पूर्व श्रमिकों की सूची, पता, मोबाइल नं. एवं श्रमिकों का संबंधित पुलिस थानों से आचरण संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की मूल प्रतियाँ स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसी प्रकार उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में निविदाकार को अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने से पूर्व तदाशय के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदाकार को अमानत राशि के रुप में 55,000/- (पचपन हजार) रुपए एफ.डी.आर. के रुप में " आयुक्त, नगर निगम जबलपुर " के नाम से जमा करना होगा ।
4. श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम 08 घंटे कार्य करना होगा, विशेष परिस्थितियों में ज्यादा कार्य कराया जा सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।
5. सफल निविदाकार द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम भुगतान वर्तमान में प्रचलित अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी दर के अनुसार करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिक कार्यवाही की जावेगी । इसी प्रकार निविदाकार के द्वारा निविदा में प्रस्तुत दर वर्तमान में प्रचलित अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी दर से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
6. समय-समय पर कलेक्टर जबलपुर द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों हेतु प्रचलित दर परिवर्तित होने पर वृद्धि/कमी की गई राशि का भुगतान प्रति श्रमिक प्रति माह की दर पर जोड़/घटा कर निगम द्वारा किया जाएगा ।
7. निविदाकार को पिछले छः माह में कम से कम बीस कर्मचारियों का E.P.F. एवं ESIC की राशि का चालान जमा कराए जाने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. निविदाकार को संलग्न अनुसूची-क अनुसार अकुशल श्रमिकों हेतु दरें उल्लेखित निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा ।
9. निविदाकार को किसी भी शासकीय विभाग / कार्यालय / अर्ध-शासकीय / स्थानीय निकायों / राज्य शासन / निगम / मण्डल का न्यूनतम एक वर्ष में कम से कम 20 (बीस) अकुशल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(2)

श्रमिक हाका कार्य (निगम सीमा में आवारा पशु / जानवर पकड़ने का कार्य) उपलब्ध कराए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यादेश आदि की जानकारी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

10. निविदाकार को विगत तीन वर्ष में एक करोड़ रुपए तक टर्नओवर संबंधी सी.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
11. अपने व्यय पर अकुशल श्रमिकों का E.P.F., ESIC, सर्विस टैक्स एवं अन्य समस्त कर सहित भुगतान करने का दायित्व निविदाकार का होगा ।
12. निविदाकार को अकुशल श्रमिकों हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दरें E.P.F., ESIC, सर्विस टैक्स एवं अन्य समस्त कर सहित होना अनिवार्य है । शासन द्वारा निर्धारित दर से कम होने पर प्रस्तुत दरें मान्य नहीं की जावेगी ।
13. अकुशल श्रमिक किसी भी उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा तथा उसके आचरण के लिए/उसके द्वारा की गई क्षति /अनुशासनहीनता की दशा में निविदाकार जिम्मेदार होगा ।
14. निविदाकार द्वारा अकुशल श्रमिकों को परिचय पत्र, बैच दिया जाना तथा कार्य करते समय श्रमिकों को साथ में रखना अनिवार्य होगा ।
15. अकुशल श्रमिकों के अस्वस्थ / अनुपलब्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक तौर पर दूसरा श्रमिक उपलब्ध कराने का दायित्व निविदाकार का होगा अथवा क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
16. निविदा समयावधि में परिवर्तन तथा आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, नगर निगम जबलपुर को होगा व इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
17. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिरोपित / प्रभारित समस्त करों के भुगतान के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा ।
18. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर निगम जबलपुर को होगा ।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
20. किसी भी विवाद के निराकरण अथवा निर्णय के लिए आयुक्त नगर निगम जबलपुर पूर्णतः सक्षम अधिकारी होगें ।

इन्चार्ज
अग्नि सैन्य दल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग